Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

RAJYA SABHA
Starred Question No. *87
Answered on Tuesday, February 9, 2021/ 20 Magha, 1942 (Saka)

SAFEGUARDING OF PUBLIC DEPOSITS IN CO-OPERATIVE BANKS

*87 Shri G.C. Chandrashekhar:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the plan to safeguard the public deposit in the co-operative banks in the country, if so, the details thereof; and

(b) if not, whether a sub-committee or expert committee is proposed to be set up to study and analyse how to safeguard the public money?

Answer

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR):

(a) to (b): A statement is laid on the table of the House.

Statement referred in reply to parts (a) to (b) of Rajya Sabha Starred Question No. *87 to be answered on 09.02.2020 regarding Safeguarding of public deposits in co-operative banks by Shri G.C. Chandrashekhar

(a) to (b): Earlier many provisions of the Banking Regulation Act, 1949 relating to the governance and sound regulation and supervision of banks that were applicable to banking companies were not applicable to co-operative banks. Keeping in view developments in the banking sector and the regulation thereof over time, amendments have been made through the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 for extending such provisions to co-operative banks as well. While providing for better management with proper regulations, the Act aim to ensure that the affairs of the cooperative banks are conducted in a manner that protects the interest of depositors by increasing professionalism, enabling access to capital, improving governance and ensuring sound banking through the Reserve Bank of India.

The provisions of the Act have been brought into force for Urban Co-operative Banks (UCBs) and State Cooperative Banks (StCBs)/District Central Cooperative Banks (DCCBs) with effect from 26.06.2020 and 01.04.2021 respectively.

The said Act provides for the following broad measures, inter-alia, to protect the interest of the depositor:

- Ensuring sound financial management through regulatory compliance in respect of financial statements, audit, unclaimed deposits with an effective oversight by the regulator.
- Regulatory approval for engaging and removal of auditors for enhancing transparency, restoring depositors' confidence and protecting their savings.
- Regulator to make the reconstruction scheme in respect of Co-operative Banks as well, in case depositors or the bank are at risk due to financial mismanagement or governance lapses.
- RBI's power to supersede a bank's Board in the interest of the public or depositors, or for securing proper management of the bank, which was earlier applicable only in respect of Banking Companies (Commercial Banks) and Multi-State Co-operative Banks, to be applicable in respect of non-Multi-State Co-operative Banks as well.
- To facilitate raising of capital, co-operative banks to be authorised to issue share capital and securities to non-members residing within their area of operation without altering "one member one vote" principle.
- Restricting co-operative banks from lending to their own directors, debarring Co-operative Bank directors employed by or having substantial shareholding in other companies, and prohibiting them from holding directorship in other banks to ensure that there is no conflict of interest in Board level decision-making.

Reserve Bank of India (RBI) has informed that a circular has been issued on February 03, 2021 on Risk-Based Internal Audit (RBIA) covering all deposit taking Non-Banking Finance Companies (NBFCs); all non-deposit taking NBFCs (including Core Investment Companies) with asset size of Rs. 5,000 crore and above; and all Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs) with asset size of Rs. 500 crore and above. The circular intends, inter alia, to provide the essential requirements for a robust internal audit function, which, inter-alia, include sufficient authority, proper stature, independence, adequate resources and professional competence, so as to align these requirements in larger NBFCs/UCBs with those stipulated for Scheduled Commercial Banks. It is expected that the adoption of RBIA by such entities would help to enhance the quality and effectiveness of their internal audit system.

Further, with effect from February 4, 2020, the deposits insurance cover for banks by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has been increased from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh with a view to providing a greater measure of protection to depositors. With the current limit of deposit insurance in India, the number of fully protected accounts in case of Co-operative banks is 21.42 crore as at end of September, 2020, constituting 98.5 per cent of the total number of accounts (21.75 crore). In terms of amount, the total insured deposits of Rs. 6,58,445 crore as at end-September 2020 constituted 68.3 per cent of assessable deposits of Rs. 9,63,691 crore.

****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *87

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों में जनता की जमाराशियों की सुरक्षा

87. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सहकारी बैंकों में जनता की जमाराशियों को सुरक्षित रखे जाने की कोई योजना है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं , तो क्या इस बात का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एक उप समिति या विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार है कि जनता के धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"सहकारी बैंकों में जनता की जमाराशियों की सुरक्षा" के संबंध में श्री जी. सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए 9 फरवरी, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *87 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): पूर्व में बैंकों के अभिशासन और सुचारु विनियमन एवं पर्यवेक्षण से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कई उपबंध जो बैंकिंग कंपनियों के लिए लागू थे, वे सहकारी बैंकों पर लागू नहीं थे। बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन और समय के साथ उसके विनियमन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपबंधों को सहकारी बैंकों पर भी लागू करने के लिए बैंककारी विनियम (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से संशोधन किए गए हैं। उचित विनियमन से बेहतर प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहकारी बैंकों का कामकाज इस प्रकार से संचालित किया जाए कि बढ़ते पेशेवर व्यवहार, पूंजी तक पहुंच उपलब्ध कराने, बेहतर अभिशासन के द्वारा जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हो और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुचारु बैंकिंग सुनिश्चित हो।

इस अधिनियम के उपबंधों को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए क्रमश: दिनांक 26.6.2020 और 1.4.2021 से लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:

- विनियामक द्वारा प्रभावी निगरानी करके वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षा, गैर-दावकृत जमाराशियों के संबंध में विनियामकीय अनुपालन के माध्यम से सुचारु वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- पारदर्शिता बढ़ाने, जमाकर्ताओं के विश्वास को बहाल करने और उनकी बचत की सुरक्षा के लिए लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने और हटाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन।
- सहकारी बैंकों के साथ-साथ, जमाकर्ता या बैंक यदि वित्तीय कुप्रबंधन या अभिशासन की चूक (कमियों) के कारण जोखिम में हों, तो उनके संबंध में विनियामक द्वारा पुनर्संरचना योजना तैयार करना।
- जनता या जमाकर्ताओं के हित में या बैंक में उचित प्रबंधन के लिए बैंक बोर्ड को अधिक्रमित करने की आरबीआई की शक्ति, जो कि पहले केवल बैंकिंग कंपनियों (वाणिज्यिक बैंकों) और बहु-राज्य सहकारी बैंकों के संबंध में प्रयोज्य थी, गैर-बहु राज्य सहकारी बैंकों के संबंध में भी लागू की जाएगी।
- पूंजी जुटाने की सुविधा के लिए, 'एक सदस्य एक वोट' के सिद्धान्त में बदलाव किए बिना सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र में रहने वाले गैर-सदस्यों को शेयर पूंजी और प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिकृत किया जाए।
- सहकारी बैंकों को अपने निदेशकों को ऋण देने से प्रतिबंधित करना, अन्य कंपनियों में पद धारण करने या पर्याप्त शेयर होल्डिंग (शेयरधारिता) रखने वाले सहकारी बैंकों के निदेशकों को अन्य बैंकों में निदेशक का पद धारण करने से वंचित करना तथा प्रतिबंधित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड स्तर पर निर्णय करने में हितों का कोई टकराव न हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि 3 फरवरी, 2021 को जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) पर एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी); 5000 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (कोर निवेश कंपनियों सहित); और 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति आकार वाले सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) को कवर किया गया है। परिपत्र का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सुदृढ़ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करना है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त प्राधिकार उचित महत्ता, स्वतंत्रता, पर्याप्त संसाधन और पेशेवर क्षमता प्रदान करना है ताकि बड़े एनबीएफसी/यूसीबी में इन आवश्यकताओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। यह आशा की जाती है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा आरबीआईए अपनाने से उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावकारिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा 4 फरवरी, 2020 से जमाकर्ताओं को सुरक्षा के व्यापक उपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बैंकों के लिए जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा से सहकारी बैंकों के मामले में पूर्णतया संरक्षित खातों की संख्या सितम्बर 2020 के अंत में 21.42 करोड़ है, जो कुल खातों की संख्या (21.75 करोड़) का 98.5 प्रतिशत है। राशि के संदर्भ में सितम्बर 2020 की समाप्ति पर कुल बीमित जमाराशि 6,58,445 करोड़ है, जो 9,63,691 करोड़ रुपए की निर्धारणीय जमाराशि का 68.3 प्रतिशत है।

*****

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, on January 10, 2020, the RBI issued a direction to Shri Guru Raghavendra Sahakara Bank in Bengaluru putting restrictions on the operations. It has affected around 47,000 depositors and indirectly affected around 2.5 lakh people. The bank is also known as a bank of retired citizens. Sir, 16 depositors died and more than 40 are admitted in different hospitals. The fear of losing their money caused panic and distress among the depositors as their hard-earned money is in trouble. I would like to know whether the Government can assure that the full money of depositors is safe or not.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 के जो गवर्नेंस के, रेगुलेशन के, सुपरविज़न के प्रावधान हैं, वे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होते थे, लेकिन जब हम बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऐक्ट, 2020 में लेकर आए, तो ये प्रावधान कोऑपरेटिव बैंक्स में भी किए गए। सर, रेगुलेटरी एप्रूवल भी engaging and removal of auditors के लिए करना पड़ा।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए)

सर, पहले बैंकों में दिक्कत आने के बाद लोगों को पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि डिपॉज़िट इन्श्योरेंस कवर जो था, वह कई वर्षों तक मात्र एक लाख रुपया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर देखा जाए, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जिन लोगों के बैंक खाते होते हैं, उनसे लगभग 98.5 प्रतिशत लोगों का सारा का सारा पैसा secure होता है क्योंकि वह पांच लाख से कम होता है। अगर इसको एक लाख रुपए से बढ़ाकर किसी ने किया है, तो एनडीए की सरकार ने किया है। जो डिपॉज़िटर्स हैं, जिनके बैंकों में खाते हैं, उनके बैंकों में जमा पैसे को सुरक्षा मिली है, तो हमारे द्वारा मिली है।

SHRI G. C. CHANDRASHEKHAR: Sir, could the Government give the data on Non-Performing Assets in nationalised banks as compared to cooperative banks? If yes, can you furnish the data from 2014 till now?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, अगर scheduled commercial banks का देखें तो NPA 11.18 परसेंट से कम होकर 7.49 परसेंट हुआ है।

श्री सभापति : ठीक है। Question Hour is over.